भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 425
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

जीएलओएफ शमन परियोजना

425. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फल्ड (जीएलओएफ) शमन परियोजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और
(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने 150.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन परियोजना (एनजीआरएमपी) के चार राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से केंद्रीय हिस्सा 135.00 करोड़ रुपये है जबकि राज्यों को अपने संसाधनों से 15.00 करोड़ रुपये का योगदान देना है। परियोजना परिव्यय, केंद्रीय हिस्सेदारी और राज्य हिस्सेदारी का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	कुल परियोजना परिव्यय	एनडीएमएफ से स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा	राज्य की हिस्सेदारी
अरुणाचल प्रदेश	45.00	40.50	4.50
उत्तराखंड	30.00	27.00	3.00
सिक्किम	40.00	36.00	4.00
हिमाचल प्रदेश	35.00	31.50	3.50
कुल	150.00	135.00	15.00

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 425, दिनांक 04.02.2025

परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य सरकारों को क्रमशः 1.83 करोड़ रुपये और 8.35 करोड़ रुपये की पहली किस्त दिनांक 17.10.2024 को जारी की गई है।

एनजीआरएमपी का उद्देश्य हिमनद झील विस्फोट बाढ़ से जुड़े जोखिमों को, खासकर उन क्षेत्रों में जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील हैं, कम करना है। एनजीआरएमपी के उद्देश्यों में शामिल हैं:-

(क) जीएलओएफ और इसी तरह की घटनाओं के कारण जीवन की हानि को रोकना और आर्थिक नुकसान और महत्वपूर्ण अवसंरचना ढांचे के नुकसान को कम करना।

(ख) अंतिम मील कनेक्टिविटी के आधार पर प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना।

(ग) स्थानीय स्तर के संस्थानों और समुदायों को सुदृढ़ करते हुए, स्थानीय स्तर पर जीएलओएफ जोखिम में कमी और शमन में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना ।

(घ) जीएलओएफ जोखिम को कम करने और शमन हेतु स्वदेशी ज्ञान और वैज्ञानिक कटिंग-एज शमन उपायों का उपयोग ।

एनजीआरएमपी परियोजना में चार घटक हैं:

घटक I: जीएलओएफ जोखिम और जोखिम मूल्यांकन (मानकीकृत मूल्यांकन पद्धति और एक झील सूची तैयार करना)

घटक II: जीएलओएफ निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (रिमोट सेंसिंग डेटा, निगरानी, चेतावनी/प्रसार के लिए सामुदायिक भागीदारी सहित)

घटक III: जीएलओएफ शमन उपाय (तकनीकी विशेषज्ञता और सामुदायिक भागीदारी को शामिल कर साइट-विशिष्ट हस्तक्षेप)

घटक IV: जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण (कई स्तरों पर हितधारकों को शामिल करते हुए)

***